प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /ईपीडी0/बाढ़ सम्भावित/2017-18 दिनांक

विषय– बाढ़ आपदा से पशुधन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव एवं पशुक्षति से बचाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक बाढ़ आपदा से पशुधन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव एवं पशुक्षति से बचाव के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0–163/ईपीडी0/बाढ़–प्रबंधन दिशा–निर्देश/2017–18 दिनांक–09.06.2017 द्वारा व्यापक निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रदेश मे बाढ़ आने की सम्भावना की मौसम विभाग की भविष्य वाणी के कम में सजग रहें।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में बाढ़ आपदा से संभावित प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बाढ़ प्रबन्धन में किये जाने वाले विभाग से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा कर लें एवं आपदा प्रबन्धन प्लान के तहत बाढ़ चौकी पर ड्यूटी लगाना, पशु चिकित्सा राहत दल का गठन तथा जनपदों के पशु चिकित्सालयों पर जीव रक्षक औषधियां एवं अन्य औषधियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के साथ ही बाढ़ आपदा सम्भावित क्षेत्रों में गलाघोंटू एवं पी0पी0आर0 बीमारी से बचाव का टीकाकरण प्राथमिकता पर अविलम्ब पूर्ण करा लिया जाये। यदि जनपदों में उक्त क्षेत्रों हेतु वैक्सीन की मांग हो तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें एवं आपदा नियंत्रण कक्ष में ऐसे संवेदनशील एवं सक्षम कर्मचारियों को नामित किया जाये, जो कार्य के प्रति सजग हो।

दिनांक 24–06–2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्भावित बाढ़ की समीक्षा एवं इस सम्बन्ध में उ0प्र0शासन के पत्र संख्या 1066/सैंतीस–2–2017-27(20)/03 पशुधन अनुभाग–2, दिनांक 28 जून 2017 द्वारा भी अपेक्षा की गई है कि आप शीघ्र भूसा व्यापारियों से वार्ता कर अनुमानित मांग के सापेक्ष आपूर्ति की व्यवस्था का विकल्प तैयार कर लें। भूसे की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनपद में उपलब्ध भूसा व्यापारियों के नाम एवं पता तथा मोबाइल नम्बर आदि की सूची तैयार कर ली जाये तथा उनकी जिलाधिकारी के साथ बैठक कराकर आपातकाल हेतु भूसा कय करने के लिये जिला प्रशासन के सहयोग से निविदा आंमत्रित करने की कार्यवाही करें। बाढ़ के दौरान पशुओं हेतु भूसे की अनुपलब्धता की स्थिति में आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

जनपद में पदस्थ समस्त पशुचिकित्साधिकारियो को अवगत कराते हुये राजस्व विभाग के कर्मचारियों से समन्वय एवं संवाद बनाये रखने के लिये भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें। आप स्वयं भी बाढ़ चौकियों एवं पशु शरणालय के लिये चिन्हित स्थानों का निरीक्षण कर लें एवं बाढ़ आने के पश्चात दैनिक सूचना निदेशालय को दिया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक।

पत्रांक–201 /ईपीडी0/बाढ़ सम्भावित/2017-18 दिनांक 11.7.17

प्रतिलिपि– 1– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक गण 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– राहत आयुक्त, उ0 प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन उ0 प्र0 शासन को संज्ञानार्थ।
4– श्री नवीन गुप्ता कम्प्यूटर सुपरवाइजर, को समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं समस्त मण्डलीय अधिकारियो को ई–मेल करने हेतु।

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक।

epd